



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 21 मार्च, 2014 ई०

फाल्गुन 30, 1935 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 119 / XXXVI(3) / 2014 / 25(1) / 2014

देहरादून, 21 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014” पर दिनांक 20 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 16 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2014)

{भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विद्यान सभा द्वारा अधिनियमित}

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में अप्रैतर संशोधन के लिए—

अधिनियम

- संक्षिप्त नाम और 1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।
 (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- धारा 3 का संशोधन 2.** मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
 “विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर देहरादून में अवस्थित होगा और हरिद्वार स्थित ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं गुरुकुल कांगड़ी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय विश्वविद्यालय के परिसर होंगे। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के संकल्प पर राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त राज्य के किसी अन्य स्थान पर भी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त परिसर स्थापित कर सकेगा।”
- धारा 9 का संशोधन 3.** मूल अधिनियम की धारा 9 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
विश्वविद्यालय के अधिकारी
 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्—
 (क) कुलाधिपति,
 (ख) कुलपति,
 (ग) वित्त अधिकारी,
 (घ) कुलसचिव, और
 (ङ) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित किया जाये।
- धारा 16 का संशोधन 4.** मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
 “कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। राज्य सरकार किसी ऐसे अधिकारी की कुलसचिव पद पर यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित योग्यता एवं वेतनमान के अनुरूप प्रतिनियुक्ति / तैनाती / नियुक्ति कर सकेगी।”

धारा 19 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 19 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्—

- (क) कार्यपरिषद् ,
- (ख) वित्त समिति ,
- (ग) शैक्षिक परिषद् ,
- (घ) अध्ययन बोर्ड ,
- (ङ) क्रीड़ा और छात्र कल्याण बोर्ड, और
- (च) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य बोर्ड और निकाय जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

धारा 19—क का 6. मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् शीर्षक सहित एक नई धारा 19—क निम्नवत अतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—

वित्त वित्त समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

समिति (1) कुलपति – अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य

(3) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य

(4) वित्त अधिकारी – सदस्य

(5) विश्वविद्यालय के आचार्यों में से कुलपति द्वारा नामित सदस्य (कार्यकाल दो वर्ष होगा) –सदस्य

(6) कुलसचिव – पदेन सचिव

धारा 20 का निरसन 7. मूल अधिनियम धारा 20 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 21 का निरसन 8. मूल अधिनियम धारा 21 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 22 का निरसन 9. मूल अधिनियम धारा 22 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 23 का निरसन 10. मूल अधिनियम धारा 23 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 24 का संशोधन 11. मूल अधिनियम की धारा 24 में –

(क) उपधारा (1) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—
कार्यपरिषद् (अधिकारी)

कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की कार्यकारी प्राधिकारी होगी और उसमें निम्नलिखित समिलित होंगे, अर्थात्—

(क) कुलपति – अध्यक्ष

(ख) सचिव, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली – सदस्य

- (ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली – सदस्य
- (घ) अध्यक्ष, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली – सदस्य
- (ङ) माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा नामित कार्यरत/सेवानिवृत्त 01 न्यायाधीश – सदस्य
- (च) प्रमुख सचिव/सचिव, आयुष विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
- (छ) निदेशक, आयुवादेक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड राज्य – सदस्य
- (ज) निदेशक, होम्योपैथिक सेवायें, उत्तराखण्ड राज्य – सदस्य
- (झ) एक सदस्य जिनका मनोनयन सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से कुलपति द्वारा किया जायेगा
- (ञ) एक सदस्य जिसका मनोनयन विश्वविद्यालय के आचार्यों में से कुलपति द्वारा किया जायेगा
- (ट) आयुष एवं विज्ञान, उद्योग, सामाजिक, राजनीतिक एवं विधिवेत्ता में से पांच सदस्य कुलपति द्वारा प्रस्तुत पैनल में से राज्य सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नामित होंगे।
- (ठ) कुलसचिव – सदस्य सचिव'
- (ख) मूल अधिनियम में धारा 24 की उपधारा (2) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् –

"कार्यपरिषद के नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।"

- धारा 25 का संशोधन** 12. मूल अधिनियम की धारा 25 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् –
- (1) कार्यपरिषद की वर्ष में न्यूनतम दो बैठक कुलपति द्वारा नियत तारीख एवं स्थान पर अम्भेजित की जाएगी,
 - (2) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शासी निकाय होगी तथा वह विश्वविद्यालय की ऐसी सभी शक्तियों का भी प्रयोग करेगी, जिसके लिए अध्यादेश/परिनियमों में कोई उपबंध नहीं है,
 - (3) आयुष चिकित्सा पद्धति की शिक्षा की प्रोन्नति और प्रसार में तथा उसके लिए अनुसंधान, शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए प्राविधान करना,
 - (4) उपाधियां, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना,
 - (5) परिनियम बनाना, संशोधन अथवा निरसित करना,
 - (6) वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना तथा प्रस्ताव पारित करना,

- (7) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियां धारण, नियत्रित तथा शासित करना,
- (8) विश्वविद्यालय के पक्ष में न्यासों, वसीयतों, दावों और किसी स्थावर व जंगम सम्पत्ति के अन्तरणों को विश्वविद्यालय की ओर से ग्रहण/अन्तरित करना।
- (9) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति से मानद उपाधियां तथा शैक्षिक विशिष्टतायें प्रदान करने हेतु कुलाधिपति से सिफारिश करना,
- (10) परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नियुक्तियों का अनुमोदन करना,
- (11) शैक्षणिक उददेश्यों हेतु अध्यादेश बनाना तथा उसमें संशोधन करना,
- (12) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जाए,
- (13) कुलपति, कुलसचिव या ऐसे अन्य अधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को जिसे वह उचित समझें, अपनी कोई अन्य शक्तियां प्रत्यायोजित करना,
- (14) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार नियत करना, मांगना और प्राप्त करना, जो समय—समय पर वित्त समिति द्वारा नियत किये जाए और जिसका संबंध विश्वविद्यालय के कार्यों/आय-व्यय से हो,
- (15) ऐसी समस्त शक्तियां जो पूर्व में अधिसभा को प्रदत्त की गई थी, वह कार्यपरिषद में समाहित समझी जायेंगी।

आज्ञा से,

के० डी० भट्ट,
प्रमुख सचिव।